कार्यालय पंचायत समिति नोहर, जिला हनुमानगढ़

क्रमांक/पसनो/स्था./तृ.श्रे.अ.नि./ दिनांक :–

नियुक्ति–आदेश

राजस्थान पंचायती राज नियम 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत श्रीमान् निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा आयोजित राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2016 (नॉन टीएसपी एरिया) के लेवल प्रथम सामान्य शिक्षक के अन्तर्गत निदेशालय बीकानेर द्वारा चयनित जिला हनुमानगढ़ को आवंटित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन उपरान्त पात्र पाये गये राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट जिला स्थापना समिति की बैठक दिनांक 29.07.2017 द्वारा वरियता अनुसार जारी पदस्थापन/विद्यालय आवंटन सूची में सम्मिलित निम्न अभ्यर्थियों को जिला परिषद हनुमानगढ़ के आदेश क्रमांक जिपह/स्था./तृ.श्रे.अ.भ.2016/पदस्थापन/2017/3586–3592 दिनांक 29.07.2017 की पालना में इस पंचायत समिति को आवंटित अभ्यर्थियों को उक्त अधिनियम की धारा 89 की उप–धारा (6) एवं राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के अधिनियम 276 के तहत एवं इसी क्रम में प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति की बैठक दिनांक 31.07.2017 के प्रस्ताव संख्या 1 द्वारा अनुमोदन किये जाने के फलस्वरूप, इस आदेश में उल्लेखित शर्तों के अध्यधीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा काल प्रशिक्षणार्थी के रूप में पूर्णतः अस्थायी तौर पर कार्यग्रहण की तिथि से नियुक्ति प्रदान कर इनका पदस्थापन उनके नाम के सामने अंकित विद्यालयों में किया जाता है:–

क्र. सं.	निदेशालय द्वारा जारी चयन सूची का वरियता क्रमांक	APPL REF ID	LVL1 ROLL No.	अभ्यर्थी का नाम श्री/सुश्री/श्रीमती	पिता	जन्म तिथि	श्रेणी (विशिष्ट श्रेणी सहित)	चयनित श्रेणी (विशिष्ट श्रेणी सहित)	आवंटित विद्यालय/पदस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4	710022232	102001362	दीपक कुमार	महादेव प्रसाद	05.07.1992	Un-Reserved/ OBC(CL)SBC (CL)	Gen(M)	राप्रावि पाण्डुसर
2	117	710046897	115029145	बसकर	ओमप्रकाश	10.04.1994	OBC (NON CREAMY LAYER)	Gen(M)	राउप्रावि ढाणी मोधूवाली
3	197	710039034	108021818	मोनू	सतपाल	07.07.1995	OBC (NON CREAMY LAYER)	Gen(M)	राउप्रावि मालिया
4	223	710010636	131000226	रोहिताश कुमार	शिशुपाल सिंह	08.07.1989	OBC (NON CREAMY LAYER)	Gen(M)	राउप्रावि ढाणी भाम्भूवान
5	271	710007106	115027728	मुकेश	जीवनराम	15.06.1995	OBC (NON CREAMY LAYER)	Gen(M)	राउप्रावि रातुसर
6	375	710038203	115029221	राजबाला	रामनिवास	01.06.1995	OBC (NON CREAMY LAYER)	Gen(M)	राउप्रावि रातुसर
7	446	710003780	115031354	मितु	महावीर प्रसाद	04.02.1991	OBC (NON CREAMY LAYER)	Gen(M)	राप्रावि नाथोवाला बास (गोरखाना)
8	506	710008457	115031066	देवकी	पालाराम	10.07.1993	OBC (NON CREAMY LAYER)	Gen(M)	राउप्रावि बालासर
9	538	710021716	115028716	ज्योतिबाला	कृष्ण कुमार	18.09.1994	Un-Reserved/ OBC(CL)SBC (CL)	Gen(M)	राउप्रावि जोखासर
10	680	710014253	115000403	ममता पारीक	बालकिशन	05.11.1992	Un-Reserved/ OBC(CL)SBC (CL)	Gen(M)	राबाउप्रावि जबरासर
11	697	710010678	115031660	गीता	झाबरमल	10.08.1993	Un-Reserved/ OBC(CL)SBC (CL)	Gen(M)	राउप्रावि जोखासर
12	729	710021190	115031206	पूजा गोदारा	राकेश गोदारा	08.12.1994	OBC (NON CREAMY LAYER)	Gen(M)	राप्रावि 1 आरपीएम
13	999	710010587	131000061	सुरेन्द्र कुमार	जुगलाल कुलड़िया	03.04.1986	OBC (NON CREAMY LAYER)	OBC(M)	राबाउप्रावि बरवाली (7बासनी)
14	1020	710038967	115031634	सुमन	मकबूल खाँ	10.03.1988	OBC (NON CREAMY LAYER)	Gen(M)	राउप्रावि सनीसर
15	1789	710010844	115000601	अनिता	हंसराज	12.07.1990	OBC (NON CREAMY LAYER)	Gen(F)	राउप्रावि अ बस्ती फेफाना

www.rajteachers.com

16	1809	710019474	115030995	मोनिका रानी	कृष्णलाल	15.12.1990	OBC (NON CREAMY LAYER)	Gen(F)	राउप्रावि 9-7 केएनएल (प्रतापगढ़)
17	5776	710011430	115029275	प्रमिला	मदनलाल शर्मा	20.10.1993	Un-Reserved/ OBC(CL)SBC (CL)	Gen(F)	राउप्रावि चक पेईदासपुरा
18	5791	710002768	115029142	मंजू	पृथ्वीसिंह	13.07.1982	OBC (NON CREAMY LAYER)	OBC(F)	राउप्रावि 19 एनटीआर
19	5983	710056298	129045320	विष्णु कुमार	जुगल सिंह	10.03.1983	OBC (NON CREAMY LAYER)	Gen(F)	राउप्रावि 19 एनटीआर
20	6116	710019503	115031443	सन्तोष	बहादुरसिंह	05.09.1982	Un-Reserved/ OBC(CL)SBC (CL)	Gen(F)	राबालउप्रावि बरवाली (रावतसर)
21	6282	710014290	129048536	सरोज	शंकरलाल	10.07.1992	OBC (NON CREAMY LAYER)	Gen(F)	राउप्रावि बालासर

नवनियुक्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.14 (1) एफडी/रूल्स/2014 पीटी दिनांक 24.12.2014 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2008 के नियम 21 की अनुसूची IV के अन्तर्गत परिवीक्षा काल में नियत पारिश्रमिक रूपये 13200/-देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, महगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधायें एवं अवकाश आदि राजस्थान पंचायती राज नियम एवं राजस्थान सेवा नियमों में निहित संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। दो वर्ष के परिवीक्षा काल प्रशिक्षण अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही पद की वेतन श्रृंखला का नियमानुसार वेतनमान 9300-34800 ग्रेड पे रूपये 3600/- देय होगा। जो अभ्यर्थी पूर्व से नियमित राजकीय सेवा में कार्यरत है, उनके संदर्भ में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 1 (2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.3.2006 के अनुसार वेतन भत्ते देय होंगे।

इन अभ्यर्थियों की जन्म तारिखें वे ही हैं जो इन्होंने परीक्षा के अपने आवेदन पत्रों में उल्लेखित की हैं और जिन्हें जिला स्थापना समिति जिला परिषद द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकार किया गया है।

सभी नियुक्ति प्रोविजनल होगी एवं नियुक्ति प्राप्त अभ्यर्थियों के पक्ष में कोई अधिकारी अधिकार उत्पन्न नहीं करेगी।

उक्त नियुक्ति की शर्तें निम्न प्रकार से होंगी-

1. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर द्वारा इस भर्ती परीक्षा के संबंध में इस आदेश में उल्लेखित याचिकाओं के अतिरिक्त इस आदेश के जारी होने की तिथि तक अन्य दायर विविध याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम निर्णयों के अध्यधीन रहेगी।
2. उपरोक्त अभ्यर्थियों को निवास स्थान के जिले से संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सी.एम.एच.ओ.) द्वारा गठित सक्षम बोर्ड से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपस्थिति रिपोर्ट के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगें। मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट के अभाव में कार्यग्रहण हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।
3. उपरोक्त नियुक्ति पूर्णरूपेण प्रोविजनल है तथा चयनित अध्यापकों को पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन नियुक्ति दी जाती है। यदि किसी अभ्यर्थी की चरित्र सत्यापन रिपोर्ट संतोषजनक प्रमाणित नहीं पायी जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
4. राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 256 के अनुसार नियोजन के लिए अपात्र एवं निरर्हक अभ्यर्थी को बिना कारण बताये उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
5. उपरोक्त अभ्यर्थियों के राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर स्थायी रूप से सेवारत होने की स्थिति में उपरोक्त निश्चित मानदेय से अधिक राशि वेतन के रूप में आहरित किये जाने की स्थिति में गत भुगतान प्रमाण पत्र (LPC) के अनुसार वेतन आहरित किया जावेगा। परन्तु उन्हें वार्षिक वेतनवृद्धियाँ परिवीक्षाकाल सफलता पूर्वक पूरा करने के बाद ही स्वीकृत की जायेगी।
6. यदि इस समय कोई अभ्यर्थी किसी विभाग में अप्रेन्टिस कार्यरत है तो उस विभाग के सम्बन्धित अधिकारी से कार्यमुक्त/त्यागपत्र स्वीकृत करवाने के पश्चात् ही उक्त नियुक्ति पदस्थापन पर कार्यभार संभाल सकेगा।
7. वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 13(1)एफ.डी./रूल्स/2003 दिनांक 2.8.2005 एवं 13.3.06 के अनुसार नई अंशदायी पेन्शन योजना लागू होगी।
8. कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति कमांक एफ 7(1)(डी.ओ.पी.)-2/95 दिनांक 20.6.2001 के सम्बन्ध में दिनांक 1 जून, 2002 के पश्चात् दो संतानों में वृद्धि नहीं हुई है, का दस रूपये के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र में घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।
9. उक्त नियुक्ति पर कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.1.2006 एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना/मेमोरेण्डम दिनांक 13.3.2006 एवं 12.9.2008 में उल्लेखित नियम व शर्तें लागू होंगी।

www.rajteachers.com

10 परिवीक्षाधीन काल में सेवायें सन्तोषप्रद नहीं होने पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस दिया जाकर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

11 पदग्रहण करने से पूर्व दो उत्तरदायी व्यक्तियों से जो अभ्यर्थी के रिश्तेदार न हो, से चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जो छः माह पूर्व का नहीं होगा।

12 अभ्यर्थी को भारत के संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा की शपथ विहित प्रारूप में लेनी होगी।

13 अभ्यर्थी को पदस्थापित विद्यालय में दिनांक 15-8-2017 तक उपस्थिति देकर पदग्रहण करना होगा। यदि पदस्थापित विद्यालय में वह इस तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करता है तो उस अभ्यर्थी के नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

14 ऐसा विवाहित अभ्यर्थी जिसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया हो वह राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद सेवा का पात्र नहीं होगा। इस विषय में पदग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी उक्त शर्त का अपना शपथ पत्र संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

15 अभ्यर्थी को एक से अधिक पत्नी/पति नहीं होने का शपथ पत्र 10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा ।

16 परिवीक्षा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक समाप्ति के पश्चात् चालू वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन में वेतन अनुज्ञात किया जाएगा ।

17 राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग-1 अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।

18 अभ्यर्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त परीक्षा के सम्बन्ध में विचाराधीन विभिन्न याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णयों से नियुक्ति प्रभावित होने पर चयनित अभ्यर्थियों को सेवा से पृथक किया जा सकेगा। इससे पूर्णतः सहमति शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

19 अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्ण रूपेण प्रोविजनल है, जो जिला परिषद द्वारा जारी चयन/पदस्थापन सूची में वर्णित दस्तावेज जांच दल की अनुशंषा/टिप्पणी अनुसार दस्तावेजों के सत्यापन के अध्यधीन होगी।

20 एसबीसी वर्ग के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का परिणाम कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के पत्र क्रमांक प.7 (2)कार्मिक/क-2/15 पार्ट दिनांक 22.05.2017 के अनुसार पूर्णतः अस्थाई आधार पर रहेगा व चयनित अभ्यर्थि सम्बन्धित पद पर स्थाईकरण का अधिकारी नहीं होगा। साथ ही एसबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीन सिविल अपील संख्या 1464-1466/2017 के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन एवं राज्य सरकार स्तर पर लिये जाने वाले अन्तिम निर्णय अनुसार रहेगा।

विकास अधिकारी
पंचायत समिति नोहर

क्रमांक :- 3366 to 3378

दिनांक :- 31.7.17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1 श्रीमान निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2 श्रीमान निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
3 श्रीमान निदेशक पैंशन एवं पैंशनर्स वेलफेयर विभाग राजस्थान जयपुर।
4 श्रीमान जिला कलक्टर हनुमानगढ़।
5 श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद हनुमानगढ़।
6 श्रीमान पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ को नवनियुक्त उक्त अध्यापकों के द्वारा भरे गये ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति संलग्न प्रेषित कर निवेदन है कि इनकी चरित्र सत्यापन रिपोर्ट 15 दिवस में भिजवाने का श्रम करें।
7 श्रीमान जिला कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, हनुमानगढ़।
8 श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित जिला हनुमानगढ़ को प्रेषित कर लेख है कि अभ्यर्थियों के मेडिकल बोर्ड प्रतिवेदन की एक प्रति अभ्यर्थी को उपलब्ध करावें तथा स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति पंचायत समिति को प्रेषित कराने का श्रम करें।
9 उपकोषाधिकारी, उपकोष कार्यालय, नोहर।
10 श्रीमान अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, हनुमानगढ़ ।
11 तहसीलदार, तहसील नोहर।
12 ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा नोहर को जिला परिषद हनुमानगढ़ द्वारा जारी पत्र एंव चयन सूची संलग्न कर भिजवाई जाकर लेख है कि सूची में दस्तावेज जांच दल की अनुशंषा/टिप्पणी के अनुसार अभ्यर्थी के मूल दस्तावेज का सत्यापन अपने स्तर से करें।
13 संबंधित श्री/सुश्री/श्रीमती ______________________.
14 रक्षित पत्रावली।

www.rajteachers.com

विकास अधिकारी
पंचायत समिति नोहर